रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 2014/अग्रहायण 14, 1936

No. 353] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 2014/AGRAHAYANA 14, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5, दिसंबर, 2014

फा. सं. पी.15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई- खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्ररूप, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 20 और धारा 21 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (i.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए उक्त उपधारा (2) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरणं, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजे जा सकेंगे।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ;

प्रारूप विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) संशोधन विनियम, 2014 है।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम,, 2011 में "फसलों का संदूषण और प्राकृतिक रूप से उद्भूत होने वाले विषाक्त पदार्थों" से संबंधित, विनियम 2.2 में,-

(क) उपविनियम 2.2.1 के खंड (2) और उसके तद्धीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2. प्राकृतिक रूप से उद्भूत होने वाले विषाक्त पदार्थ:

क्रम सं.	प्राकृतिक रूप से उद्भूत होने वाले विषाक्त पदार्थों का नाम (एनओटीएस)	खाद्य वस्तु	अधिकतम सीमा (पीपीएम)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	एगेरी अम्ल	खाद्य जिनमें मशरूम अंतर्विष्ट है।	100
		एल्कोहली सुपेय	100
2.	हाइड्रोसायनिक अम्ल	नुगा, मार्जीपैन या उसके पदार्थ या समान उत्पाद	5
		डिब्बाबंद स्टोन फल	5
		एल्कोहली सुपेय	5
		कन्फेक्शनरी	5
		डिब्बाबंद स्टोन जूस	5
3.	हाइपरसाइन	एल्कोहली सुपेय	1
4.	सेफ्रोल	मांस विनिर्मितियां और मांस उत्पाद जिसके अंतर्गत कुक्कुट और	10
		मत्स्य विनिर्मितियां और मत्स्य उत्पाद	10
		सूप और सॉस	10
		गैर एल्कोहली सुपेय	10
		खाद्य जिनमें गदा और जायफल अंतर्विष्ट हैं।	10
		एल्कोहली सुपेय	10"

युद्धवीर सिंह मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./187–ओ/14/02]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अभी तक संशोधन नहीं किया गया है।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2014

F.No. P.15025/264/13-PA/FSSAI.—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India, with the previous approval of the Central Government, proposes to make, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub- section (2) of Section 92 read with section 20 and 21 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by sub-section (1) of the said Section 92, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestion, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulation before the expiry of the period so specified, will be considered by the Food Authority.

Draft regulations

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) (Amendment) Regulations, 2014.

2. In the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, in regulation 2.2 relating to 'Crop Contaminants and naturally occurring toxic substances', -

(a) in sub-regulation 2.2.1, for clause (2) and the entries there under, the following shall be substituted, namely:-

"2. Naturally occurring toxic substances:

TABLE

Sl.No	**Name of naturally occuring toxic substances (NOTS)**	**Article of food**	**Maximum limits (ppm)**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Agaric acid	Food containing mushrooms	100
		Alcoholic beverages	100
2	Hydrocyanic acid	Nougat, marzipan or its substitutes or similar products	5
		Canned stone fruits	5
		Alcoholic beverages	5
		Confectionery	5
		Stone fruit juices	5
3	Hypericine	Alcoholic beverages	1
4	Saffrole	Meat preparations and meat products, including poultry and game	10
		Fish preparations and fish products	10
		Soups and sauces	10
		Non-alcoholic beverages	10
		Food containing mace and nutmeg	10
		Alcoholic beverages	10".

YUDHVIR SINGH MALIK, Chief Executive Officer

[ADVT III/4/Exty./187-O/14/2]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and these have not been amended so far.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.